

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल
jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10724 / 2536

दिनांक :- 01.01.2019

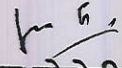
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री सीमा बाबल [लिंक न. 10724] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय पंजीयक, सहकारिता विभाग, जयपुर
- [1281] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 09/07/2018 से 03/08/2018 तक 26 दिवस

उक्त कुल 26 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री सीमा बाबल की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

संलग्न :- सेवा पुस्तिका।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10724 / 2536

दिनांक :- 01.01.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. पंजीयक, सहकारिता विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री सीमा बाबल [10724] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय पंजीयक, सहकारिता विभाग, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
- ✓ 5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)